

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पुरुष एवं महिला,  
उ०प्र०।

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: २५ फरवरी-2014

विषय:-चिकित्सा इकाई पर प्रशिक्षित एवं रिक्लड मानव संसाधन की तैनाती के विषय में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश की शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर एवं कुल प्रजनन दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष-2017 तक शिशु मृत्युदर को वर्तमान दर 53 / 1000 जीवित जन्म से 32 / 1000 जीवित जन्म तक, मातृ मृत्यु दर 300 / 100000 जीवित जन्म से 200 / 100000 जीवित जन्म तक तथा कुल प्रजनन दर 3.7 से 2.8 तक लाने के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि चिकित्सा इकाईयों, उपकेन्द्र/लेवल-1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/लेवल-2, प्रथम सन्दर्भ इकाई(एफ०आर०यू०)/ लेबिल-3 पर प्रशिक्षित एवं पूर्णतः दक्ष चिकित्सक/स्टाफ नर्स/ए०एन०एम० तैनात किये जाये क्योंकि प्रशिक्षित, कुशल एवं दक्षता प्राप्त चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मचारी ही स्वास्थ्य इकाईयों पर गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने में सक्षम होंगे एवं लाभार्थी की सन्तुष्टि के साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

2- आप अवगत हैं कि भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रदान किये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है, परन्तु प्रायः यह परिलक्षित हो रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य इकाईयों में उन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा रहा है जिन पर कार्यभार बहुत कम अथवा न के बराबर है। यह भी जानकारी में आया है कि प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षित स्टाफ को प्रसव इकाईयों पर न तैनात कर अन्य ऐसी स्वास्थ्य इकाईयों पर तैनात कर दिया जाता है जिनके द्वारा अभी पूर्ण सेवायें नहीं दी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण का लाभ जन सामान्य को नहीं मिल पा रहा है।

स्वास्थ्य कर्मियों के कुशलता एवं दक्षता प्रदान करने हेतु Reproductive Maternal Child & Health and Adolescent Health (RMNCH +A) रणनीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम ऐसी स्वास्थ्य इकाईयों पर तैनात चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० को नीचे दी जा रही तालिका के अनुसार आयोजित प्रशिक्षण में स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षित एवं दक्ष बनाने हेतु नामित करने की कार्य योजना बनाई जाये जो प्रसव इकाईयों (Delivery Points) के रूप में चिन्हित है। इसके लिये आवश्यक है कि प्रसव इकाईवार प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों को चिन्हित कर लिया जाये एवं तालिका में दिये गये प्रशिक्षण के अनुसार कार्यभार के आधार पर अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाय।

क० सं०	उपकेन्द्र / L-1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / L-2	प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ०आर०यू०) / L-3
	ए०एन०एम०	चिकित्सक / स्टाफनर्स / ए०एन०एम०	चिकित्सक / स्टाफनर्स / ए०एन०एम०
1.	SBA	SBA-SN, ANM	SBA- SN, ANM
2	NSSK	NSSK- MO, SN, ANM	LSAS- MO
3	IUD insertion	BmOC- MO	EmOC- MO
4	Contraceptive update	MTP- MO	MTP/MVA- MO
5	HBNC	Mini Lap/PPS-MO	BmOC-All MOs. working in Maternity
6	RTI/STI	NSV- MO	Lap.Ligation- Gynaecologist/Surgeon
7	IMEP	IUCD- MO, SN, ANM	RTI/STI/HIV Screening- MO, SN, LT, ANM
8	IMNCI (CCSP)	RTI/STI- MO, SN, ANM	Mini Lap./PPS
9	R.I.	F-IMNCI- MO & SN	NSV-MO
10		PPTCT- MO, SN	PPIUCD- MO, SN, ANM
11		R.I.-MO,SN,ANM	IUCD-MO,SN. ANM
12			PPTCT- M.O. /SN
13			R.I.- MO, SN, ANM

L-1 Delivery Points:- ऐसे मान्यता प्राप्त उपकेन्द्र जहां पर औसतन 03 या अधिक प्रसव प्रतिमाह कराये जाते हैं।

L-2 Delivery Points:- ऐसे 24x7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नॉन एफ०आर०यू० सामु०स्वा०केन्द्र, जहाँ पर 24 घण्टे प्रतिदिन सामान्य प्रसव एवं जटिल प्रसव (जिनमें ऑपरेशन अथवा रक्त चढ़ाने की आवश्यकता न हो) की सेवायें उपलब्ध हैं।

L-3 Delivery Points:- ऐसे एफ०आर०यू० सामु०स्वा०केन्द्र/जिला स्तरीय चिकित्सालय/Tertiary Hospitals जहां पर C-section द्वारा जटिलताओं के प्रबन्धन एवं रक्त चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध हो।

### Abbreviations

<b>ANM</b>	Auxiliary Nurse Midwife	<b>MO</b>	Medical Officer
<b>BEmOC</b>	Basic Emergency Obstetric Care	<b>NSSK</b>	Navjat Shishu Review Suraksha Karyakram
<b>EmOC</b>	Emergency Obstetric Care	<b>NSV</b>	Non Scalpel Vasectomy
<b>CEmOC</b>	Comprehensive Care Emergency Obstetric	<b>MTP</b>	Medical Termination of pregnancy
<b>FRU</b>	First Referral Unit	<b>MVA</b>	Manual Vacuum Aspiration
<b>HBNC</b>	Home Based Newborn Care	<b>PPIUCD</b>	Post-partum Intra Uterine Contraceptive Device
<b>IUCD</b>	Intra Uterine Contraceptive Device	<b>PPTCT</b>	Preventing Parent to Child Transmission
<b>ICTC</b>	Integrated Counselling and Testing Centre	<b>RTI/STI</b>	Reproductive Tract Infection/ Sexually Transmitted Infection
<b>LSAS</b>	Life Saving Anesthesia skills	<b>R. I.</b>	Routine Immunization
<b>LT</b>	Lab Technician	<b>SBA</b>	Skilled Birth Attendant
<b>IMEP</b>	Infection Management Skills and Environment	<b>SN</b>	Staff Nurse
<b>LSCS</b>	Lower Segment Protection Caesarian Section		
<b>IMNCI</b>	Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses		
<b>MO</b>	Medical Officer		
<b>NSSK</b>	Navjat Shishu Review Suraksha Karyakram		

3- उपरोक्त के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाय। उदाहरण स्वरूप LSAS (Life Saving Anesthesia Skills) प्रशिक्षित एवं Em.O.C (Emergency Obstetric Care) प्रशिक्षित को L-3 स्तर पर, SBA (Skilled Birth Attendant) प्रशिक्षित कार्मिकों को L-1, L-2, तथा L-3 के स्तर पर ही तैनाती की जाय। अपरिहार्य स्थिति में यदि अन्यत्र तैनाती की जाती है तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

4- यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में चिकित्सा इकाईयों, उपकेन्द्र / L-1, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / L-2, प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ0आर0यू0) / L-3 पर तैनात चिकित्सक / स्टाफनर्स / ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण की स्थिति का आकलन कर तालिका में दिये गये प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाना आपका उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त ग्रभारी चिकित्साधिकारियों व विशेषज्ञों चिकित्सकों के द्वारा अपने अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / प्रशिक्षण निरन्तर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मवदीय,

(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 692 (1) / सेक-2-पांच-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन।
3. महानिदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, जगत नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ।
6. महानिदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय उपायुक्त, उ0प्र0।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
11. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
13. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, प0क0 महानिदेशालय, जगत नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ।
14. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0।
15. समस्त अधीक्षक / प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उ0प्र0।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, उ0प्र0।
17. गार्ड फाइल।
18. कम्प्यूटर सेल।

भाज्ञा से,

(डा0 काजल)  
विशेष सचिव।